web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 09 अप्रैल 2025 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-07, अंक- 187

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

महत्वपूर्ण एवं खास

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन का 'सिटी की ऑफ ऑनर' सम्मान

लिस्बन । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में 'सिटी की ऑफ ऑनर' सम्मान से नवाजा गया। लिस्बन के मेयर कार्लोस मोएदास ने उन्हें यह सम्मान दिया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने लिस्बन के मेयर और लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लिस्बन अपने खुले विचारों, संस्कृति, सहिष्णुता और विविधता के प्रति सम्मान के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि लिस्बन एक वैश्विक शहर है जो तकनीकी बदलाव, इनोवेशन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डिजिटल संक्रमण के मामले में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में भारत और पुर्तगाल आगे भी सहयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा, पुर्तगाल एक ऐसा देश है, जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत और पुर्तगाल के बीच सांस्कृतिक संबंध सदियों से चले आ रहे हैं, और इन्होंने हमारे रोजमर्रा के जीवन पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा, इस वर्ष भारत और पुर्तगाल अपने राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ऐतिहासिक सहयोग, एक गतिशील और बहुमुखी साझेदारी बनने की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाक गणराज्य की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर हैं। यह 25 से अधिक वर्षों में भारत के राष्ट्रपति की इन देशों की पहली राजकीय यात्रा है। इन यात्राओं से यूरोपीय संघ के दो महत्वपूर्ण भागीदारों के साथ भारत के बहुआयामी संबंधों का और विस्तार होगा। पुर्तगाल में पिछली राजकीय यात्रा 1998 में हुई थी जब राष्ट्रपति के.आर. नारायणन वहां पहुंचे थे। राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर 7-8 अप्रैल तक पुर्तगाल की राजकीय यात्रा पर हैं।

म्यांमार : विनाशकारी भूकंप के बाद महसूस किए गए 98 झटके

यांगून । म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद से अब तक कुल 98 झटके महसूस किए गए हैं। देश के मौसम विज्ञान और जल विज्ञान विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इन झटकों की तीव्रता 2.8 से 7.5 तक थी। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,600 हो गई है, 5,017 लोग घायल हुए हैं और 160 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, राज्य प्रशासन परिषद की सूचना टीम ने यह जानकारी दी। दक्षिण-पूर्व एशियाई देश के मांडले क्षेत्र में 28 मार्च को शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कुछ ही मिनट बाद 6.4 तीव्रता का दूसरा झटका आया, जिससे जानमाल की भारी हानि हुई। भूकंप ने मंडाले जैसे कई शहरों को तबाह कर दिया। संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठनों को राहत और बचाव कार्य चलाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि, यूएन, अमेरिका, भारत, यूरोपीय संघ, कई अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता और बचाव दल भेजे। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। इस अभियान के तहत नई दिल्ली ने म्यांमार को कई टन चिकित्सा आपूर्ति और राहत सामग्री भेजी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस आपदा पर गहरा दुख व्यक्त किया और इस संकट के दौरान म्यांमार को सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

ओडिशा में बनेगा भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र, आईओसीएल करेगा 61000 करोड़ रु का निवेश

नई दिल्ली । आरएनएस

ओडिशा सरकार ने मंगलवार को भारत की सबसे बड़ी डुअल-फीड नेफ्था क्रैकर परियोजना के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया. यह समझौता पूर्वी भारत को औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इसे जगतसिंहपुर जिले के पारादीप में विकसित किया जाएगा, जो ओडिशा की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल-आधारित विकास औद्योगीकरण की आकांक्षाओं के लिए 61,077 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश है.

एमओयू पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा, यह पहल पूर्वी भारत के समावेशी विकास के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी योजना है, जिसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे में वृद्धि और आर्थिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र को 'विकसित भारत' का प्रमुख चालक बनाया जा सके.

सीएम माझी ने कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज का कार्यक्रम उस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. यह राष्ट्रीय विकास को गति देगा और भारत को 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगा.

नेफ्था क्रैकर परियोजना पूर्वी भारत के लिए केंद्र के 'पूर्वोदय' दृष्टिकोण का प्रमुख घटक होगी. यह आईओसीएल का किसी एक स्थान पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है.

आईओसीएल के साथ समझौता ओडिशा के ऊर्जा क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश के व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसमें दो अन्य समझौता ज्ञापन शामिल हैं. जाजपुर में आईएसपीआरएल की 4 एमएमटी कच्चे तेल भंडारण सुविधा शामिल है, जिसमें 8,743 करोड़ रुपये का निवेश होगा. इसी तरह, गंजाम जिले के गोपालपुर में पेट्रोनेट एलएनजी द्वारा 2,306 करोड़ रुपये के निवेश से 4 एमटीपीए एलएनजी टर्मिनल विकसित किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ये परियोजनाएं आयात के लिए गेम चेंजर साबित होंगी, आयात पर निर्भरता को कम करेंगी और भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी.

गेम-चेंजर पारादीप पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स आईओसीएल की रिफाइनरी क्षमता को 15 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 25 मिलियन टन कर देगा, जिसमें प्रमुख पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन करने के लिए डुअल फीड क्रैकर होंगे. इस परियोजना से सालाना 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की आयात लागत बचने का अनुमान है. साथ ही पॉलिमर और विशेष रसायनों में भारत की आत्मनिर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

सीएम माझी ने कहा कि पोर्ट ऑफ एंटवर्प, पोर्ट ऑफ ह्यूस्टन और जुरोंग द्वीप की तरह पारादीप दुनिया के अग्रणी रासायनिक केंद्र में के रूप में उभरेगा. यह परियोजना क्लस्टर-आधारित तालमेल, फीडस्टॉक शेयरिंग, नवाचार और कौशल विकास केंद्रों जैसी सामान्य सुविधाओं का लाभ उठाएगी.

इस पहल से ओडिशा के खजाने में सालाना 8,500 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान होगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इससे फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, एडहेसिव्स, कोटिंग्स, पैकेजिंग प्लास्टिक और अन्य जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों में एमएसएमई विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

ओडिशा का तटीय क्षेत्र इसे दक्षिण-पूर्व एशिया और उससे आगे के निर्यात के लिए आदर्श बनाता है. ओडिशा पहले से ही पूर्व में भारत के निर्यात के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, और पेट्रोकेमिकल हब के जुड़ने से इसका रणनीतिक आर्थिक मूल्य और बढ़ जाता है.

माझी ने कहा, ओडिशा में अपार अवसर हैं और मैं सभी उद्यमियों और निवेशकों से आग्रह करता हूं कि वे इन अपार अवसरों का लाभ उठाएं. उन्होंने कहा, यह क्षेत्र प्रधानमंत्री की 'मेक इन इंडिया' पहल का भी समर्थन करता है और इसमें भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने की क्षमता है.

केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा, इंडियन ऑयल ने पिछले दशक में ओडिशा में लगभग 55,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है. यह समझौता ज्ञापन अतिरिक्त 70,000 करोड़ रुपये का प्रतिनिधित्व करता है और इस क्षेत्र में आगे की सहायक आर्थिक गतिविधि को खोलेगा. यह अगले 25 वर्षों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है.

शिक्षक भर्ती मामले में ममता सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीमकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश को किया रद्द

नई दिल्ली । आरएनएस

शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ष्टक्चढ़ढ जांच का आदेश देने से पहले हाईकोर्ट को पर्याप्त तथ्यों और ठोस आधार पर विचार करना चाहिए था, जो इस मामले में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी प्रक्रिया में खामियां होना जांच का आधार नहीं बन सकता, जब तक ठोस आपराधिक साक्ष्य सामने न हों।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने 3 अप्रैल को बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया था। कोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और दागदार बताया था। इन कर्मचारियों का चयन 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग के एक भर्ती अभियान के माध्यम से चुना गया था।

क्या है पूरा मामला?

वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में राज्य स्कूल सेवा आयोग (स्स्ष्ट) द्वारा आयोजित एक भर्ती प्रक्रिया के तहत 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी।बाद में इन नियुक्तियों को लेकर आरोप लगे कि बड़ी संख्या में भर्तियां घोटाले और भ्रष्टाचार के ज़रिए की गईं। जांच में सामने आया कि कई अपात्र अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई, जबकि मेरिट लिस्ट में आए योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया। इन आरोपों पर कार्रवाई करते हुए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को 'दागदार' करार दिया और अप्रैल 2023 में जांच के आदेश दिए थे।

विरोध के बीच वक्फ संशोधन एक्ट 2025 हुआ लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली । आरएनएस

पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों से पारित हुए वक्फ संशोधन बिल 2025 कानून बन चुका है. इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम मंगलवार से लागू हो गया है.

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है, वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की धारा 1 के सब-सेक्शन (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 8 अप्रैल, 2025 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू करने की डेट को अपोइंट करती है.

बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमश: 3 अप्रैल और 4 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद विधेयक पारित किया था. सदन से बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया था, जहां उन्होंने पांच अप्रैल को प्रस्तावित कानून को अपनी मंजूरी दे दी. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जहां विधेयक का समर्थन किया. वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया है.

कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी सांसदों ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसे सत्तारूढ़ गठबंधन ने पिछड़े मुसलमानों और समुदाय की महिलाओं के लिए पारदर्शिता और सशक्तिकरण का एक बल बताया है. विपक्ष ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि यह मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन करता है.

इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कडग़म, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने याचिकाएं दायर की हैं. बता दें कि लोकसभा में 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया था, जबकि 232 सदस्यों ने इसका विरोध किया था. वहीं, राज्य सभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे.

तमिलनाडु के राज्यपाल के 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लंबित रखने का फैसला अवैध : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । आरएनएस

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा 2023 में 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित रखने के कदम को अवैध और गलत करार दिया।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने फैसला सुनाया कि विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है।

फैसले में कहा गया कि राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना अवैध है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल ने सद्भावनापूर्वक कार्य नहीं किया। विधेयकों को उसी दिन राज्यपाल द्वारा स्वीकृत मान लिया गया था, जिस दिन उन्हें पुन: उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल के पास विधेयक को रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है, साथ ही कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। उन्हें अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करना होता है।

इस वर्ष फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के शीर्ष विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल (एजी) आर. वेंकटरमणी और तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि राज्यपाल ने खुद को वैध रूप से निर्वाचित राज्य सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किया है। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद राज्यपाल ने अपने पास लंबित 12 में से 10 विधेयकों को उनकी सहमति के लिए वापस कर दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, यदि राज्यपाल को प्रथम दृष्टया लगता है कि विधेयक में कुछ खामियां हैं, तो क्या उन्हें इसे राज्य सरकार के संज्ञान में नहीं लाना चाहिए? सरकार से यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह राज्यपाल के मन में क्या है, यह जान सके? यदि राज्यपाल को विधेयक में कुछ खामियां परेशान कर रही थीं, तो राज्यपाल को इसे तुरंत सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए था और विधानसभा को विधेयक पर पुनर्विचार करना चाहिए था।

पिछले साल नवंबर में, शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी पर सवाल उठाए थे।

मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड अटैक में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, 2 गिरफ्तार

जालंधर । आरएनएस

भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड अटैक के मामले को लेकर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड जीशान अख्तर है, जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी है। जीशान पहले से ही बाबा सिद्दीक मर्डर केस में वांटेड है और उसकी गतिविधियों पर पहले से ही निगरानी रखी जा रही थी। पुलिस ने जिन संदिग्धों को हिरासत में लिया है वह जालंधर के गढ़ा और भार्गव कैंप क्षेत्र के रहने वाले हैं। हालांकि इसे लेकर पुलिस द्वारा कोई अधिकारिक बयान सांझा नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि यह हमला एक क्रॉस बॉर्डर प्लैंड अटैक था, जिसका मकसद पंजाब में धार्मिक सद्भाव को बिगाडऩा था। इसी के साथ पुलिस पाकिस्तान बेस खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और गैंगस्टर हैप्पी पासिया के इस हमले से संबंधों की भी जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमले को अंजाम देने के लिए भारत-पाकिस्तान सीमा पार से निर्देश और सहयोग मिला था।

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कालिया विस्फोट के समय घर पर थे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर मंडरा रहा ये बड़ा खतरा, अलर्ट पर प्रशासन

देहरादून । आरएनएस

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसकी तैयारियों में प्रशासन जोरशोर से जुटा है। हर साल की तरह इस बार भी बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, यात्रा शुरू होने से पहले ही साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। इस बार साइबर पुलिस और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने इनसे निपटने के लिए कमर कस ली है।

यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं 2 मई से शुरू होंगी, जब धाम के कपाट खुलेंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू हो रही है। यूकाडा और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हेली सेवाओं की बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाना होगा। गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से शुरू होने वाली सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन का विकल्प होंगी। यूकाडा के अधिकारी ने बताया कि इस बार सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। पिछले साल भी साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

हर साल केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवाओं का संचालन होता है, लेकिन फर्जी वेबसाइट्स और स्कैमर्स यात्रियों को ठगने में जुट जाते हैं। इसे रोकने के लिए उत्तराखंड साइबर सेल ने प्राथमिकता के आधार पर कई कदम उठाए हैं। वहीं, साइबर पुलिस ने अपील की है कि यात्री केवल उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही बुकिंग करें। पिछले साल चारधाम यात्रा के नाम पर ठगी करने वाली 80 फर्जी वेबसाइट्स को बंद किया गया था और 30 से अधिक फेक फेसबुक विज्ञापनों को हटाया गया था। इसके अलावा, 50 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज किया गया था। साइबर पुलिस ने कई ठगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुए। पुलिस ने यात्रियों से आग्रह किया है कि ऑनलाइन आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। प्रशासन और पुलिस की सतर्कता से उम्मीद है कि इस बार यात्रा सुचारु और सुरक्षित रहेगी। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि टिकट बुकिंग से पहले वेबसाइट की प्रामाणिकता जांच लें और किसी भी संदेह की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें।

भारत-यूएई साझेदारी में दुबई की भूमिका अहम, क्राउन प्रिंस शेख हमदान से मुलाकात के बाद पीएम मोदी

नई दिल्ली । आरएनएस

दुबई के क्राउन प्रिंस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। वह भारत की दो दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, दुबई के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मिलकर खुशी हुई। दुबई ने भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह विशेष यात्रा हमारी गहरी दोस्ती की पुष्टि करती है और भविष्य में और भी मजबूत सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी।

वहीं क्राउन प्रिंस ने एक्स पर लिखा, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके खुशी हुई। हमारी बातचीत ने यूएई-भारत संबंधों की मजबूती की पुष्टि की, जो विश्वास पर आधारित है, इतिहास द्वारा आकारित है, तथा अवसरों, इनोवेशन और स्थायी समृद्धि से भरा भविष्य बनाने के साझा दृष्टिकोण से प्रेरित है।

दुबई के क्राउन प्रिंस के रूप में शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है और उनके साथ कई मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गणमान्य अतिथि के सम्मान में दोपहर के भोज का आयोजन किया और क्राउन प्रिंस ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बैठकें कीं।

इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्राउन प्रिंस का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री महामहिम शेख हमदान मोहम्मद का भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। हमारे व्यापक सहयोग और जीवंत संबंधों के लिए उनकी सकारात्मक भावनाओं की सराहना करता हूं।

दिल्ली के बाद, क्राउन प्रिंस मुंबई का दौरा करेंगे और दोनों पक्षों के प्रमुख व्यापारिक नेताओं के साथ एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इस बातचीत से भारत-यूएई आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग मजबूत होगा।